कृपया यह मसला आप अपनी पार्टी में रखिए कि वह आपका नाम चेयर पर दे । मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलें, या आगे वाले बोलें या पीछे वाले बोलें या इधर से बोलें या उधर से बोलें । जो यहां बैठे हैं लीडर, उनसे भी मैं कहूंगी कि आप जूनियर मेम्बर्स के नाम भी दिया कीजिए । आप चेयर पर क्यों आक्षेप लगाते हैं ?

श्री शंकर दयाल सिंह : नाम तो आपके सामने है ।

उपसभापति : नहीं, मेरे सामने नहीं है । चेयर पर आक्षेप लगाना गलत है । आप अपने लीडरों से मैटर तय कीजिए । मंत्री जी ।

CONSTITUTION (SIXTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 1990—Contd.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, तमाम माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक की चर्चा में भाग लिया उनको, उन माननीय सदस्यों को भी, जिन्होंने यहां बैठकर सुनने का काम किया है और ऐसे माननीय सदस्यों को भी, जो कि बोलना चाहते थे या चर्चा में भाग लेना चाहते थे, किन्तु समयाभाव के कारण उनको समय नहीं मिल पाया, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं । हालांकि यह विधेयक बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसमें कोई बहुत सारे क्लॉज नहीं हैं, सिर्फ इतना ही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक दर्जा दिया जाए । जितने साथियों ने इसमें भाग लिया, सभी साथियों ने एक बात जरूर कही कि इसका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए और कुछ साथियों ने यह जरूर कहा कि शायद यह विधेयक पर्याप्त नहीं है, इसके जितने तीखे दांत होने चाहिएं, उतने तीखे दांत नहीं हैं और जो पुराना शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स कमीश्नर है, जो आर्टिकल 338 के तहत है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है । जब मेरे सभी माननीय साथी बोल रहे थे तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था और मैं यह चाह रहा था कि इसमें जो खामी है, उसे माननीय सदस्य बताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस संशोधन या सुझाव को हम रखने का काम करेंगे । लेकिन कुछ साथियों ने सुझाव दिए हैं और बहुत साथियों का भाषण हुआ है । अच्छा है। समस्याएं हैं तो समस्याओं के संबंध में वक्तव्य भी जरूरी है लेकिन जो यह कानूनी पहलू है क्योंकि हम एक बॉडी बनाने जा रहे हैं और अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से हम अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं । हमने नहीं कहा है कि हम इसको कमीशन आफ इंक्वायरी का पावर देंगे, लेकिन हमने हर संभव कोशिश की है कि कानून के तहत इसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए । हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि जो मुख्य बात है वह यह है कि आपने कमीशन बना दिया लेकिन कमीशन बनाने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट मैंडेटरी होगी और उसको माना जाएगा। तो मैं माननीय सदस्यों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कमीशन कमीशन होता है, कमीशन कोई मंत्रालय नहीं है। अब कमीशन को जितनी दूर तक हमको अधिकार देना चाहिए था, उसको हमने देने का काम किया है और इसके कर्त्तव्य को यदि आप देखेंगे तो (5) में है कि आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना ।"

फिर जो हमने जोड़ा है संशोधन करके उसमें हमने कहा है कि :—

[श्री राम विलास पासवान]

"(खख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास (सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट) की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।"

यह एक ऐसा अस्त्र है, उपसभापति महोदया, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत व्यापक है। फिर हमने कहा है कि :—

"(ग) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना।

(घ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

उपसभापति महोदया, अब आप देखेंगे कि जो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें कोई प्रोग्राम, कोई ताकत नहीं दी गई है, मैं नहीं समझता हूं कि कानून के तहत इससे ज्यादा कोई ताकत दी जा सकती है। इसलिए जब माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं बार-बार उनसे पूछता था कि आप बतलाएं कि आप इस में क्या चाहते हैं? आप सुझाव दीजिए कि इसमें क्या जुड़वाना चाहते हैं? हनुमनतप्पा साहब ने कहा कि साहब नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसकी धारा 6 आप पढ़िए। धारा 6 में कहा है कि :—

"राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्थापित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

एक कमीशन था। कमीशन को पहले कोई पावर नहीं थी। शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर को कोई पावर नहीं थी। किसी अफसर को बुलाता था, वह अफसर आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां कमीशन गया और अफसर नहीं आया। कमीशन के पास कोई ताकत नहीं थी कि उसको बुला सके। आज जो हम कमीशन को पावर दे रहे हैं उसके माध्यम से सम्मन करने का अधिकार उसको है। ... **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: यहां इस सदन में तो सम्मन करने पर आ नहीं रहे हैं, वहां क्या आएंगे। ... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: तो उसको सम्मन करने का अधिकार है। सम्मन करने के बाद न सिर्फ उसको अन्वेषण करने का अधिकार है बल्कि उसको एक्जामिन करने का भी अधिकार है और इन सारी चीजों के बाद वह राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट देगा, आपने कहा कि वह मेंडेटरी है कि नहीं, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि यदि कहीं से शिकायत आए तो उसको यह पावर दी गई है कि वह सिविल कोर्ट के माध्यम से जाकर इन्क्वायरी करे।

श्री राम अवधेश सिंह: मंत्री जी, ऐसे हल्के ढंग से बात मत कहिए। यह गंभीर बात है। जब सम्मन करने पर हाउस में नहीं आए तो क्या आप अधिकार दे रहे हैं... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: मैं समझता हूं कि राम अवधेश जी लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हैं। यह जो आप कह रहे हैं यह सारी की सारी बात रूल्स की बात है। मैं यह कह रहा हूं कि हम जो संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं उसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि जो भी कानून बनाना आवश्यक हो, वह बनाया जा सकता है। वह सारी की

सारी बात इसमें आएगी। इसलिए मैंने उस ऑप्शन को भी नहीं छोड़ा है। हनुमंतप्पा साहब ने उन लोगों की नियुक्तियों, रिजर्वेशन आदि से लेकर सोशियो-इकनोमिक डेवलपमेंट आदि तमाम चीजों पर विस्तार से कहा है और मैं चाहता हूं कि इन सबको पूरा करने के लिए हम सदन का ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास करें क्योंकि इस विधेयक पर आम सहमति है और फिर दूसरा विधेयक भी हमारे सामने है जो उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें भूमि संबंधी कानून को नावें शैड्यूल्ड में जोड़ने का प्रावधान है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : पाडय जी, मैं उस पर आ रहा हूं। तो यह सारे जो आपने सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि उन सारे सुझावों को उसमें पिरोने का काम हम करेंगे। रूल्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं और कुछ जो बची हैं उनका भी हम उसमें समावेश करेंगे। जैसा कि अभी पाण्डेय जी और बहुत से दूसरे साथियों ने कहा कि इसमें कोई ऐसा छेद नहीं रहना चाहिए जिससे घड़े में पानी भर जाए। मैं तो कहता हूं कि अभी तक छेद ही छेद था। मैंने उस छेद को बंद करने की कोशिश की है और उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई छेद बचेगा तो उस छेद को भी हम बंद करने का काम करेंगे।

अब जहां तक चेयरमैन का सवाल है, उसके संबंध में हमने कहा है कि चेयरमैन का स्तर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। बहुत से साथियों ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया है। तो यह जो संविधान संशोधन बिल है यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस पद पर जो भी होगा उसे व्यापक अधिकार देने के लिए लाया गया है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। बाद इसके उपाध्यक्ष को हमने स्टेट मिनिस्टर का रैंक दिया है और हमने यह भी कहा है कि एक बार अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा और एक बार अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा। जब अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा तो अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष होगा और अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा तो अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष होगा।

उपसभापति महोदया, हमारे साथियों ने और भी बहुत से सुझाव दिए हैं और पाण्डेय जी ने हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि यह सरकार खाली भाषण देती है, भाषण के अलावा कोई काम नहीं करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको इस बात का गर्व है कि हमने अपने चुनाव घोषणापत्र के मुताबिक कानून बनाने, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। मैं यह मानता हूं कि सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का निदान नहीं होता है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि जब तक हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम जो कानून बनाते हैं उनको लागू करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। पाण्डेय जी ने और भी बहुत सी अच्छी बातें कहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वर्ण व्यवस्था के तहत जो सफाई काम करता है उसको सबसे छोटा समझा जाता है और जो छोटा काम करता है उसको बड़ा आदमी समझा जाता है। जब तक हम डिगनिटी आफ लेबर नहीं देंगे तब तक सिर्फ कानून बना देने से ही समस्या का हल नहीं होगा लेकिन ... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : भाषण में इस अधिनियम में कहीं समावेश नहीं है ... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : लेकिन उपसभापति महोदया, जोगी जो अभी खड़े हुये थे, जोगी जी कह रहे थे, मैं जोगी जी को गिनाना चाहता हूं। मुझको

[श्री राम विलास पासवान]

आये हुये सिर्फ 6 महीने हुये हैं और 6 महीने में सात काम हमने किया है और इसी सदन के माध्यम से करवाया है। गिनाना चाहते हैं मैं गिना देता हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति सब लोगों की सहमति से, लेकिन सरकार में बिल लाया, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाया गया... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: मैं भी बात कर रहा हूं.... (**व्यवधान**)

उपसभापति: बोलने दीजिये प्लीज।

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य को सरकार को क्रिटिसाईज करने का सब अधिकार है सरकार की तरफ से जो काम हमने किये हैं हमको रखने का अधिकार है कि या नहीं? तो मैं नेग्र.. (**व्यवधान**) हमने कहा सब लोगों के सहयोग से, मैं कहां कहता हूं कि **मैंने** कर दिया। आज भी सब लोगों के सहयोग से हम करने जा रहे हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण कानून जो पार्लियामेंट से पास हो गया था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ था यह कह कर के नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा था कि राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं, हम नोटिफिकेशन नहीं लागू कर सकते हैं, नहीं जारी कर सकते हैं। हम आये, आने के बाद हमने लॉ मिनिस्ट्री से भी राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि सिर्फ राज्य की सरकारों से आपको परामर्श करना चाहिये लेकिन राज्य की सरकार नहीं भी स्वीकृति देती हैं तो आप स्पेशल कोर्ट के लिये निदश जारी कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। 30 जनवरी को हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज देश के 80 पसट जिलों में वहां स्पेशल कोर्ट का आईडेंटिफिकेशन हो गया है, जजों की नियुक्ति की जा रही हैं और हमने कहा है कि जून के आखिर तक ऐसा कोई जिला नहीं रहना चाहिये जिस जिले में स्पेशल कोर्ट बन न जाये और यह कोई एक पार्टी का नहीं सभी पार्टी की सरकारें हैं अलग-अलग राज्यों में, सब जगह बनाई जा रही हैं।

तीसरी चीज, जोगी जी, 43 साल गुजर गये। 43 साल में आपको कभी याद नहीं आया कि बाबा अम्बेडकर भी कोई आदमी हैं, उनको भी भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया जाये। उसमें आपका क्या पैसा लग रहा था.... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया है यह आप सुनना चाहें तो घंटों बोलते रहेंगे आप सुन नहीं पायेंगे... (**व्यवधान**) केवल परिधि को छूकर यह न सोचिये कि आपने समस्या का निराकरण कर लिया है... (**व्यवधान**)

उपसभापति: लैट हिम स्पीक।

श्री राम विलास पासवान: कांग्रेस ने कहां यूनिवर्सिटी का सपना दिया वह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। न जमीन का पता है, न पैसों का पता है... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: मंत्री जी, अगर इस वाद-विवाद में पड़ेंगे तो बहुत समय लग जायेगा... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान. देखिये, मैं सरकार की तरफ से जो 6 काम हुये हैं मैं गिना रहा हूं.. (**व्यवधान**) तो मैं यह कह रहा था.. (**व्यवधान**) जब सोचिये न यह एक घंटा तक क्या 6 घंटा तक बोले हैं तो 6 मिनट में जवाब तो सुनले... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. Don't interrupt.

SHRI AJIT P. K. JOGI: He mentioned my name. That is why I wanted to clarify.

उपसभापति: चलिये बोलिये... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान: तो मैं यह कह रहा था कि भारत रत्न की उपाधि से डा० अम्बेडकर को भी विभूषित किया गया, 14 अप्रैल को किया गया। कह दीजिये कि नहीं किया गया। आप भी... (व्यवधान) बार-बार क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, इसमें क्या आब्जेक्शनेबल है?

SHRI JAGESH DESAI: When you talk of Dr. Ambedkar, I saw yesterday's Parliament News and there the statue of Dr. Ambedkar was not shown...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. You could have spoken earlier.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, पैसा जहां खर्च करने की बात होती है उस बात को छोड़ दिया जाता है। जहां एक पैसा खर्च नहीं होता है, सम्मान देने की बात होती है डा० अम्बेडकर को, आज तक वह सम्मान भी नहीं दिया गया। इसी सेन्ट्रल हाल में डा० अम्बेडकर की तस्वीर को.. (व्यवधान).. लगाया गया और उतारा गया। मैंने कहा था कि ये चार काम किये हैं। पांचवां काम नवबौद्धों को आरक्षण की सुविधा मिली, आपके सहयोग से। आप पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। मैंने कहा आप के सहयोग से किया। सर्वसम्मति से लोक सभा में भी पास हुआ और सर्वसम्मति से यहां भी उनको आरक्षण की सुविधा मिली। यह पांचवां काम हुआ। छठा काम यह आपके सहयोग से करने जा रहे हैं। यह आपको सहयोग करना है यह हमको मालूम है। जो दूसरे सदन में हुआ ...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: संसद के परिसर में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा किसने स्थापित की थी? (व्यवधान) इतना लचर तर्क मत दीजिए जो स्टेंड न कर सकें इस महान सदन में। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: दूसरे सदन में पहले दिन जब यह..

श्री रत्नाकर पाण्डेय: अम्बेडकर का नाम मत लीजिए। उनका महान सहयोग .... (व्यवधान)

उपसभापति: बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं फिर निवेदन करती हूं कि हाऊस चलने दीजिए। अब आप लोगों का समय था आपको जो बोलना था बोला और वह अपनी मर्जी से जवाब दे रहे हैं देने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं वही कह रहा हूं जो हमने किया है। इसमें मर्जी की बात नहीं है। हमने नवबौद्धों को आरक्षण की सुविधा दी यह हमने पांचवां काम किया। छठा काम जो करने जा रहे हैं वह आपके सामने संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात है। सातवां काम भूमि के मामले के बारे में है। उसको हम संविधान की 9वीं सूची में लाने जा रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर: इसकी चर्चा यह कैसे कर रहे हैं जब यह अभी तक आया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान. 6 महीने में इन सात कामों को हमने किया है और उसके बाद .. (व्यवधान) यह अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा की बात है। 1978 में जब मैं लोक सभा का मेम्बर था, जीत कर आया था, मुझे याद है तब संवैधानिक अधिकार देने की बात आयी थी लेकिन उसके बाद वह सरकार खत्म हो गयी। तब से लेकर अब तक 12 साल के दौरान आपने पूरे हथियार से लैस होकर संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग बनाने

[श्री राम विलास पासवान]

का काम आपने क्यों नहीं किया? किसने आपको रोका था? आज कह रहे कि तोप नहीं है, तरकश नहीं है, आपको किसने रोका था? 12 साल तक आपने लाने का काम नहीं किया। (व्यवधान) हमने लाने का काम किया। आज भी हमारा दिमाग बिल्कुल साफ़ है इस मामले में। अपने सभी साथियों से हमने कहा था, अनुसूचित जाति, जन जाति के अपने सभी पार्टियों के संसद सदस्यों से कहा था जो भी आपको सुजेशन देने हों, दे दीजिए। इसके माध्यम से हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं होगा तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मशताब्दी मना रहे हैं, सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में यह वर्ष मना रहे हैं। इसमें हमने यह निणय लिया है कि एक साल के अंदर, जैसा हनुमनतप्पा जी ने कहा, जोगी जी ने कहा कि क्लास-वन की श्रेणी में 6 परसेंट तक रिजर्वेशन हो पायी है; हम सारे के सारे आरक्षण भर पायेंगे। हम मानते हैं इस बात को इन तीन महीनों में नहीं भरा गया ...

श्री अजीत जोगी : आप भर दें।

श्री राम विलास पासवान : हम भरेंगे। हमने कहा है कि एक साल के अंदर भरेंगे। भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में यह जो डा० अम्बेडकर के सम्बंध में कमेटी की स्थापना की गयी है जिसमें सभी पार्टी के माननीय सदस्य रखे गये हैं, उसने यह तय किया है कि एक साल के अंदर योजनाबद्ध तरीके से 14 अप्रैल, 1991 तक किसी भी श्रेणी में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। जिस पोस्ट के लिए भी बैकलॉग है वे सारी की सारी पोस्टें भरी जायेंगी। सारी की सारी पोस्टस भरेंगे और उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो अगले पार्लियामेंट के सेशन, में रिजर्वेशन के लिए लेजिस्लेशन भी लाने जा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी उनको पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए दण्ड का विधान रखा जाएगा। हम यह करना चाहते हैं। हमारी नीति साफ है इस मामले में हम किसी से समझौता करने नहीं जा रहे हैं ... (व्यवधान)

हम जानते हैं आप डा. अम्बेडकर के नजदीक रहे हैं। डा० अम्बेडकर को कांग्रेस ने चेयरमैन भी बनाया। लेकिन डा० अम्बेडकर जी ने कांग्रेस छोड़ते वक्त क्या कहा था उसको भी पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वह जलती हुई भट्टी है जिसमें जो जाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए डा० अम्बेडकर को कोट मत करिये। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उस विवाद में मत जाइये। मैं नहीं कह रहा हूं, डा. अम्बेडकर जी को कोट कर रहा हूं ... (व्यवधान)।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : यह कांग्रेस को बदनाम करने का तरीका नहीं है। आप डा. अम्बेडकर जी के आदर्शों को जरूर बताइये।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, इसलिए कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने फ़ैसला लिया है कि जहां कहीं भी अत्याचार का मामला होगा, जहां कहीं भी सामाजिक, आर्थिक अन्याय का मामला होगा तो हम अवश्य दूर करेंगे। आदिवासियों का मामला हो तो हमने कहा है कि जंगलात का मामला होगा तो जो भी कानून बनेगा उसमें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोग भी उसमें सहभागी होंगे ... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे: आप बार-बार अपने शासन का उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अगर देश में डा. अम्बेडकर नहीं होते और कांग्रेस नहीं होती तो आप और हमारा उद्धार नहीं होता, हम यहां पर बैठे नहीं होते। आप भूलिये मत। आप अपने शासन की तारीफ़ कर रहे है। आप 40-42 वर्ष के कांग्रेस के काम को आंखों से ओझल नहीं कर सकते हैं। खबरदार, बाबा साहब का नाम लेते हुए इन बातों को मत भूलिये ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: मैं इस बात को मानता हूं कि बाबा साहब

अम्बेडकर नहीं हुए होते तो दलितों को ये अधिकार नहीं मिलते ...(व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : आप श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के काम को कैसे भूल सकते हैं?

श्री राम विलास पासवान: डा० अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है .... (व्यवधान)।

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं नागपुर की उस धरती से आती हूं जहां पर बाबा साहब ने धर्मान्तरण किया था। मैं उनको जानती हूं ...(व्यवधान)।

श्री राम विलास पासवान: मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सवाल पर कभी भी वाक आउट नहीं करते, यह कांग्रेस की पुरानी कल्चर रही है। मैं डिटेल में न जाते हुए अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम साथियों को ...(व्यवधान)...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I object to what he said just now about the walk-out. (*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: 'Jawaharlal Nehru' is not unparliamentary.

डा० रत्नाक पाण्डे : अगर हम समर्थन नहीं करते तो आप पास नहीं कर सकते थे। अगर हम समथन न द तो आपका बिल गिर जायेगा ...(व्यवधान)...आप नहीं चाहते हैं बिल पास कराना? ...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : मैंने जब मूव किया था, सोलंकी साहब हमारे मित्र रहे हैं, उनको मालूम है कि मैंने जब बिल मूव किया तो ..(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. (*Interruptions*) I said 'I am not allowing'. Let the Minister complete his speech.

आप अपना भाषण खत्म कीजिये।

श्री राम विलास पासवान: मैं राउंड अप कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

मैं खत्म करने जा रहा हूं। तो महोदया, शुरू में मैंने सिर्फ तीन मिनट का समय लिया था। मैं अभी भी ज्यादा समय न लेते हुए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि ...(व्यवधान)...

डा० करार अहमद खान (राजस्थान) ...ये इस मुद्दे पर जनता के सामने गये थे कि बोफोर्स का जो मसला है उसकी जांच करायेंगे और तथ्य जनता के सामने लायेंगे। इस मसले पर यह सरकार जीती है। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक इस गवर्नमेंट ने सारे डाकुमेंटस सभापटल पर नहीं रखे हैं। इस बात को लेकर बाइकाट भी किया गया है ....(व्यवधान)...

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): I would like to point out to the hon. Minister that the walk-out was not on this. It was on Bofors.

उपसभापति: मंत्री जी आप खत्म करिये, मुझे वोटिंग करानी है।

श्री राम विलास पासवान: मैं आधे मिनट के समय में खत्म कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ...(व्यवधान) आप बैठिये, आप ऐसा क्यों कर रहे है?

मैं सभी पक्षों के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने शुरू से ही इसका समर्थन किया है। इसके लिये सभी पक्ष के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कहने से अगर किसी को चोट लगी हो तो मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने सब साथियों को धन्यवाद देता हूं। आपने

[श्री रामविलास पासवान]

बहुत अच्छे ढंग से समर्थन किया और इस में भाग लिया। धन्यवाद।

श्री शंकर दयाल सिंह : केवल एक बात यहां छूट गई। पूरे प्रकरण में कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं आया जब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये गांधी जी की प्रेरणा राष्ट्र के लिये सर्वोपरि मानी गई है। इसलिये जब भी मंत्री जी भाषण दें तो उन्हें यह कहना चाहिये कि गांधी जी की प्रेरणा से अब इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।.... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : मुझे मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्योंकि उन्होंने इसका वायदा किया था कि मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया, उसको कोई जवाब नहीं दिया। यह एक संवैधानिक सवाल है, जिसे मैं पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो कमीशन है तो यह लागू होगा स्टेट में और यूनियन सर्विसेज में भी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 338 के सब-क्लाज 3 के तहत जो अदर्स बैकवर्ड क्लासेज का रेफरेंस आटोमेटिकली कांस्टिट्यूशन में है, जो मैंने पढ़कर सुनाया था, उसके तहत मान लीजिये....

उपसभापति : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, आर्टिकल 338 तो पिछड़े वर्गों के लिए है कि पिछड़े वर्गों को भी, यदि उनकी तरफ से कमीशन बने तो उसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन जब सेंटर में अभी तक पिछड़ वर्ग की लिस्ट ही नहीं है तो आएंगे कहां से, जब लिस्ट बन जाएगी तो जुड़ जाएंगे... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : स्टेटस में सूची है, सारे राज्यों में सूची बनी हुई है.... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will first put the Amendment of Shri Ahluwalia...

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): The Minister gave wrong interpretation. Sub-clause 3 provides for other backward classes to be treated on Scheduled Castes/Scheduled Tribes basis and other backward classes are already recognised under the Constitution in various States. This Commission is not to operate only for Central purposes. It is for the States also. Will the Minister please state whether the States' other backward classes, their welfare, etc. will also be looked into by this Commission or not?

श्री राम विलास पासवान : अभी नहीं। अभी इसमें नहीं है। मंडल कमीशन की जहां तक सिफारिश का मामला है सरकार अपने रिकार्ड है कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी लागू करने जा रहे है।

श्री राम अवधेश सिंह : देश के सारे राज्यों में जो वेल्फेयर के बारे में प्रोविजन है उसके बारे में आपका क्या कहना है। उसको क्यों नहीं आप लिस्ट में शामिल करते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, आपको मालूम है कि 388 के तहत जो स्पेशल कमिश्नर की पोस्ट है, स्पेशल आफिसर की पोस्ट है उसके बदले में कमीशन जोड़ा जा रहा है और उसके अंतर्गत एस.सी., एस. टी. के जो मामले थे उनको इनको सौंपा जा रहा है। अब माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़ते हैं... **(व्यवधान)**

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मंत्री जी ने अभी यह उत्तर दिया कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली में उपप्रधान मंत्री जी ने कहा कि जब तक जाट जाति बैकवर्ड क्लास की सूची में नहीं जोड़ी जाएगी तब तक हम उस पर अपनी

सहमति नहीं देंगे । एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, माननीय वेल्फेयर मिनिस्टर भी... (**व्यवधान**) कहते हैं कि लागू करेंगे लेकिन इस देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब यह कहता हो कि जब तक जाट कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास की सूची में नहीं रखी जाएगी तब तक हम समर्थन नहीं देंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? उपप्रधान मंत्री जी कुछ बात कहते हैं, प्रधान मंत्री जी कुछ बात कहते हैं, कल्याण मंत्री जी कुछ बात कहते हैं । इसमें क्या दृष्टिकोण है ? ऐसा लगता है कि सरकार की दृष्टि इस मामले में साफ नहीं है इसलिए इस तरह का विरोधाभास आता है.... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, न तो प्रधान मंत्री जी अलग बोलते हैं.... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि 6 महीने बीत गये क्या कारण है कि मंडल आयोग नहीं लागू हो रहा है, कौन सी कठिनाई है, सदन को बताएं .... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जो राम नरेश यादव जी ने कहा है मैं उस संबंध में कहना चाहूंगा कि न तो प्रधान मंत्री अलग कह रहे हैं, न तो उप प्रधान मंत्री अलग बोल रहे हैं और न कल्याण मंत्री अलग बोल रहे हैं । परसों प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और कल्याण मंत्री सबने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और उप प्रधान मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री राम नरेश यादव : इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि उप प्रधान मंत्री जी के जो विचार हैं वे विचार क्या सरकार के.... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty-Eighth Amendment) Bill, 1990, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The questions is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members:

1. Shri Ram Awadhesh Singh
2. Shri Subramanian Swamy
3. Shri Anant Ram, Jaiswal
4. Maulana Obaidullah Khan Azmi
5. Chowdhary Ram Sewak
6. Shri Sikander Bakht
7. Shri G. Swaminathan
8. Shri V. Gopalsamy
9. Shri Chaturanan Mishra
10. Shri Dipen Ghosh
11. Shri Shankar Dayal Singh
12. Shri Ram Jethmalani
13. Sardar Jagjit Singh Aurora
14. Shri rishan Kumar Deepak
15. Shri S. S. Ahluwalia

with instructions to report by the first day of the next Session of the Rajya Sabha."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Those in favour may please say 'aye'. Those against may please say 'no'. (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, ayes have it. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will put the motion once again. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam, ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There will be a division.

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, Ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The amendment is negatived. If you want division, you can have it.

SHRI S. S. AHLUWALIA: But, they said "Ayes". So Ayes have it.

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप और कन्फ्यूज मत करिए, बैठ जाइये।.... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दो बार .... **(व्यवधान)** लेकिन अभी तक मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं।.... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAS: I shall now put the amendment of Shri..... Please sit down.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): But, this is a Constitution Amendment Bill....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why is he disturbing? I would request you to please sit down. Otherwise I will have to ask you to leave the House.

श्री राम अवधेश सिंह : आप मंत्रीजी से जवाब दिलवा दीजिए।

उपसभापति : अगर मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई औजार नहीं है कि उनसे जवाब दिलवा सकूं। आप बैठ जाइये।

SHRI KHYOMO LOTHA (Nagaland); Madam,....

श्री राम अवधेश सिंह : यह बात तो स्पष्ट है.... **(व्यवधान)** लागू नही होगा। सरकार धोखे में क्यों रखती है ?

उपसभापति : राम अवधेश जी, जो मंत्री जी ने कह दिया, उसके अलावा मेरे पास उनसे कहलवाने का कोई औजार नहीं है। मुझे कार्यवाही को आगे चलाने दीजिए।

SHRI KHYOMO LOTHA: Madam, I want to raise a point. I had sought. ...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ram Awadhesh Singh, if you don't listen, I am going to ask you to please leave the House.

श्री राम अवधेश सिंह : यह सरकार निकम्मी है। यह झूठे वादे करती है। यह जवाब नहीं देती है मैं वाक आऊट करता हूं।

(*At this stage the hon. Member left the Chamber*)

SHRI KHYOMO LOTHA: Madam, I hardly speak. And when I speak, I give only short speeches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak on the Third Reading. You cannot speak now. There is a certain procedure. I cannot permit him at the wrong place. I will allow you at the Third Reading stage. Please sit down. I cannot permit you at the wrong place. Please sit down...I cannot permit you. It is against the rules. I will allow you at the Third Reading Stage.

SHRI KHYOMO LOTHA: In that case, I am walking out.

(*At this stage the hon. Member left the Chamber*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He has a certain complaint. This is not in connection with this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said that he wanted to make a speech. He did not say that he wanted to raise a point of order. You call him back. Let him make his point of order. As everybody heard, he said that he wanted to make a short speech. And I said, I will allow him at the Third Reading stage. If he wants to raise a point of order, let him raise it. You call him back.

SHRI KHYOMO LOTHA: My only point of order is....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, let me hear him. I have the right to hear.

SHRI KHYOMO LOTHA: My only submission is this, When I sought time to speak on this Sixty-eighth Amendment Bill, as a tribal I wanted to give a few points of suggestion. But I was told that there was no time and my name was not given. Now I find that it is 6 o'clock and so many irrelevant things have been spoken. Even the Minister himself raised so many irrelevant things. What is this? This is very unfortunate. I have been watching the proceedings in the Lok Sabha since yesterday... (*Interruptions*).

6.00 P.M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the Member wants to speak on it, there is still time. ... (*Interruptions*) .... Just a minute. Listen to me. If your party did not give you time, still, at the third reading I will permit you to speak.

SHRI KHYOMO LOTHA: It was from the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not from the Chair. It is the party. I will ask the Whip to get up the explain to him. Perhaps, he doesn't know. But I will permit you to speak at the third reading. Please sit down.

SHRI KHYOMO LOTHA: Irrelevant things have been raised, provoking the Members unnecessarily, but I could not be given even three minutes to speak.... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, please. He is from a backward class. I can understand a Member wanting... (*Interruptions*) Which class is he?... (*Interruptions*) Tribal? I don't know what class he is .. (*Interruptions*) ..

SHRI G. G. SWELL: I know... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ... (*Interruptions*)... I know Members by the name.. (*Interruptions*)... Sit down. Don't get angry, please. Sit down. ... (*Interruptions*)...

SHRI G. G. SWELL: I don't come from a backward class.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not. You are most forward than everybody else. All right.

SHRI G. G. SWELL: I am not a backward class Member. I am the most forward Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every Member of the House is very forward. If any body wants to speak....

SHRI G. G. SWELL: I challenge anybody. Don't use this word.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are you challenging?

SHRI G. G. SWELL: Don't use this word. I am more forward than you are, I know much more than you do. ... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Cool down. ... (*Interruptions*)... It was not your matter. The Member wanted to speak. If his party did not give him time... (*Interruptions*)... Please, keep quiet. To me everybody is forward. To me there is no SC, ST, to me it doesn't matter. To me all Members are respectable, and if any Member wanted to speak and if his party did not give him time, I will give him time to speak at the third reading—I promise. ... (*Interruptions*)... Please sit down.

SHRI G. G. SWELL: But don't use the word "backward."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, do you want to withdraw or do you want to make your speech.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I want to speak, Madam.

उपसभापति: एकदम संक्षेप में बोलिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, मैं समय की कमी के कारण बोला नहीं क्योंकि मंत्री जी को ज्यादा बोलना था।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

महोदया, यह 68वां संविधान संशोधन लाने के पहले सारे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे यह 68वां संशोधन विधेयक लाकर शायद ये इस मुल्क को शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को महलों में बिठाने जा रहे हैं। जिस तरह से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने घड़ियाली आंसू बहाए और जैसे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पास नहीं करने देना चाहती और अड़े-पूठे अड़ंगे लगा रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन के हर सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या आर्थिक व्यवस्था आपने इस विधेयक के माध्यम से शेड्यूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब को दी है ? आपने विधेयक पढ़ा है। क्या आर्थिक व्यवस्था आप दे रहे हैं ? क्या गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को आप झोंपड़ियों से उठाकर, खपरैल के मकान से उठाकर एअर कंडीशंड कमरों में बिठाने जा रहे हैं ? शायद नहीं। महोदया, राम विलास पासवान जी अनुसूचित जाति से आते हैं.... (व्यवधान) आप जब बोल रहे थे तो मैंने बाधा नहीं पहुंचाई, कृपया सुनने की कोशिश करें और हिम्मत रखें। रामविलास पासवान जो कि मंत्री हैं, उनकी आदत है कि वे जगह-जगह भाषण देकर वायदे कर आते हैं। कई जगह इन्होंने मेरे साथ खड़े होकर वायदे किए हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। कुछ दिन पहले ये विकलांगों और अंधों की मीटिंग में कह रहे थे कि इसी सत्र के अंदर उनके रिजर्वेशन के लिए एक विधेयक लाएंगे और उसे पास कराएंगे। थे मंत्री महोदय से पूछना कि वह विधेयक कहां है ? वह कहां ला रहे हैं आप ? इन अंधों, लूलों, लंगड़ों के साथ आपने ऐसा मजाक क्यों किया ?

महोदया, यह विधेयक लाने से पहले ... (व्यवधान)

उपसभापति : आपका जो अमेण्डमेंट है, वह सेलेक्ट कमेटी के बारे में है। कृपया सेलेक्ट कमेटी में आप क्यों भेजना चाहते हैं, उस पर बात कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : मडम, सेलेक्ट कमेटी का तो आपने वायस वोट में आयज करा लिया है। मेरा पूरा अमेंडमेंट है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will discuss it later.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : आप सेलेक्ट कमेटी का तो ऑलरेडी पास करा चुकी है।

उपसभापति : चलिए, वह पास हो गया है तो आप बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलूवालिया : मैं तो फर्स्ट एमण्डमेंट पर बोल रहा हूं, कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट पर।

THE DEPUTY CHAIRMAIN: No. no. I will first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to the Select Committee of Rajya Sabha to vote.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : वह तो आपने पास कर दिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There was a confusion in the House. That is why I am going through it, please. There was a confusion created. That is why people did not hear it. This is Constitution Amendment. We have to record clase by clause. That is why we are doing it for the benefit of all the Members.

आप अगर इस पर बोल रहे हैं तो बोलिए और अगर विदड्रा कर रहे हैं तो विदड्रा कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : मेडम, आप ऐसा कह रही हैं तो यह सैलेक्ट कमेटी को रेफर करने की जो बात मैंने कही है, उसके बाद मेरा एक पूरा अमण्डमेंट है :

उपसभापति : उस पर अभी रहने दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप उस पर बोलने की अनुमति देंगी।

उपसभापति : हां, दूंगी। मगर क्या आप इसे विद-ड्रा कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं। मैं इसे सेलेक्ट कमेटी को क्यों रेफर करना चाहता था, उसके पीछे एक कारण है और वह कारण यह है कि इस सरकार ने मंडल कमीशन के बारे में अपने मेनिफेस्टो में कहा है और सिर्फ इसी पार्टी ने नहीं बल्कि इस पार्टी से जुड़ी हुई दूसरी भी पार्टी हैं, उन्होंने कहा है—मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंपलीमेंट करेंगे। महोदया, इन्होंने आते ही एक कमेटी भी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष इस देश के उप-प्रधानमंत्री देवी लाल जी बनाए गए। देवी लाल जी ने दस दिन के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। वह कमेटी चली नहीं। हर बार यह कहते हैं, अभी भी मद्रास में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम एक हफ्ते में लागू करवा देंगे। अब यह कह रहे हैं कि अभी तक बेकवर्ड कम्युनिटी को आइडेंटीफाई नहीं किया है। इसलिए मैं इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर रहा था कि मंडल कमीशन और माइनोरिटीज दोनों पर विचार करके आपका यह विधेयक इस माननीय सदन में आए। मैं चाहता हूं कि ज्वायंटली यह नेशनल कमीशन आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्ज, बेकवर्ड कम्युनिटी और माइनोरिटीज का हो और उस मेंबेशन के अंदर, जिनको हम हर जगह पालिटिकल बेनिफिट लेते हैं, सबको लाया जाए। इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाए और जो मैंने सुबह सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के नाम लिए थे, उनको उसमें रखा जाए ताकि उस सेलेक्ट कमेटी में इस पर पूरा विचार किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing it?

SHRI S. S. AHLUWALIA: No.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty eighth Amendment) Bill, 1990 to a Select Committee, to vote.

The amendment was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment of Shri V. Narayanasamy for reference of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. Are you withdrawing it?

SHRI V. NARAYANASAMY: Since I have other amendments, I may be permitted to speak on those amendments. I withdraw this amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

SHRI V. NARAYANASAMY: First of all respect the Member. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order.

I would not like you to disturb, again the Chair, please.

I shall now put the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to vote.

Under Article 368 of the Constitution, the Amendment will have to be adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes.. 192

Noes.. nil

Ayes—192

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Amrita Pritam, Shrimati
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Beniwal, Shrimati Vidya
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary Ram Sewak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R K.

Faguni Ram, Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal

Gaj Singh, Shri
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. alias Misa P. Ganesan
Gautam, Shri Sangh Priya
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadasamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jagmohan, Shri
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati
Kakodkar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Dr. Abrar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha,

Kore, Shri Prabhakar B.
Kotaiah Pragada, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Kunjachen, Shri P. K.

Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Mahajan, Shri Pramod
Mahendra Prasad, Shri
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Mehta, Shri Chimanbhai
Menon, Prof. M. G. K.
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.

Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.
Paswan, Shri Kameshwar
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C

Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Ramachandran, Shri S. K. T.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Ratan Kumari, Shrimati
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri S. Jaipal
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Shri Ram Awadhesh
Singh, Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sinha, Shrimati Kamla
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.
Talari Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yonggam, Shri Nyodek

Noes—NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2: Amendment of article 338.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I move:

"That at page 1 and 2 **after** the words "Scheduled Tribes" wherever they occur, the words "and Backward and Minority Communities" be inserted."

The question was proposed.

उपसभापति : अहलुवालिया जी बोलिए जरा संक्षेप में बोलिएगा ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, यह विधेयक जो शैडयूल कास्ट एंड शैडयूल ट्राइब्ज के नाम से लाया गया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं पर सरकार की नीयत में जो थोड़ी गड़बड़ी है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । वह यह है कि आर्टिकल 338 के तहत जो इस विधेयक में संशोधन लाया जा रहा है, उसके क्लाज (3) में क्लियरली यह लिखा हुआ है कि :—

"In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community."

महोदया, आर्टिकल 340 के क्लाज (1) के तहत मंडल कमीशन की नियुक्ति के बारे में कहा गया है । मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है तो भारतवर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने ही अपने-अपने मैनीफेस्टो में कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा । पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभी तक जो बात मंत्री महोदय कह रहे थे, उनमें इस मुल्क की जनता के साथ और शैडयूल कास्ट और शैडयूल ट्राईब्ज के साथ एक फ्रॉड खेला जा रहा था ।

महोदया, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपनी कांस्टीटयूएंसी में जो घटनाएं घट रही हैं वह बड़ी शर्मनाक हैं और अगर इनकी नीयत साफ होती तो जो स्पेशल कोर्ट इन्होंने खोली है, वह स्पैशल कोर्ट ये पहले फतहपुर जिले में खोलते । दुख इस बात का है कि जिस दिन ये फतहपुर गए और वहां से आकर इन्होंने यह कहा कि सोनमती के साथ कुछ नहीं हुआ है और पत्रकारों ने उसको गलत रूप में पेश किया है । जब कि सोनमती के साथ रेप हुआ और उसको जिंदा जला दिया गया। वहां वह खुद नहीं गए और कुछ लोगों को टेलिविजन के सामने खड़ा करके उनके झूठे बयान पेश किए । महोदया, वहां से वापस आते ही 19 तारीख को उनके मंडराव गांव में थाना बिवदकी के एरिया में फलटूराम नामक हरिजन की हत्या की गई । उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए । उसके 18 टुकड़े करके रास्ते में फेंक दिया गया । और तीन दिन तक उसकी लाश उठाने कोई नहीं आया और उसको मारने वाला नरपत सिंह जो कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का पोलिंग एजेंट था । वहां क्यों नहीं और आज तक उसकी एफ०आई० आर० रिपोर्ट कोई नहीं लिख रहा है ? थाने मे कोई तैयार नहीं एफ०आई०आर० रिपोर्ट लिखने को । महोदया मैं आपके माध्यम से महोदया से कहूंगा कि थानों में इस पर कार्यवाही करवायें और जरा पूछें कि यह क्या घटना घटी है । महोदया बात वहीं खत्म हो जाती तो दूसरी बात होती । 27 तारीख को हैबत पुर में हुसेन गंज थाने में नरेश और गुड्डी गुड्डो पर वहां के सर्वण जाति के लोगों ने हमला किया और उसको एक चौपाल मे ले गये उसको रेप करने के लिये । जब वह चिल्लायी तो उसका आदमी नरेश उसको बचाने के लिये आया तो उसको वहां के सर्वण जाति के लोगों ने गोली मार दी । महोदया अगर इतनी ही नीयत साफ़ है तो स्पेशल कोर्ट फ़तहपुर में क्यों नहीं बैठायी गयी ? स्पेशल कोर्ट फ़तहपुर के इन हरिजनों की सहायता करने वालों के खिलाफ़ क्यों नहीं बैठायी गयी ? अगर इतनी ही साफ़ है तो वहां के वीकर सैक्शंस के अधिकारों को बचाने के लिये फतहपुर को एरिया क्यों नहीं डिक्लियर किया ? सेंसटिव डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया ? अगर नीयत इतनी ही साफ़ है तो महोदया जो..... (व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY: Chandra Swamy is doing this in Fatehpur only to bring a bad name to Mr. V.P. Singh.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: As you did earlier. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: No cross-talk please.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आर्टिकल 338 जब से यह संविधान बना है उसके संशोधन नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूं । किंतु आज पहली बार उसके तहत संशोधन हो रहा है तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की रिकमंडेशंस के तहत इसके बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को भी जोड़ा जा सकता था, जिसको नहीं जोड़ा गया, और जान बूझकर नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोडा गया । क्योंकि इनको खतरा है अपने उप-प्रधान मंत्री से जिन्होंने रीपन चेलेंज किया है राम विलास पासवान जी को और कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में और बैकवर्ड की लिस्ट में जब तक जाटों का नाम बेकवर्ड लिस्ट में नहीं चढ़ता तब तक अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया तो वह सरकार को गिरा देंगे । इस डर से आज तक यह हिम्मत नहीं कर सके । महोदया, यह बैकवार्ड कम्युनिटी के साथ-साथ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : और आपने क्यों नहीं कर दिया था.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप अपनी बात करो । आप अपनी नीयत की दुहाई देते रहो.... (व्यवधान) महोदया, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस आर्टिकल-338 के क्लॉज-3 में लास्ट वर्ड एंग्लो इंडियन आता है । जिस वक्त यह संविधान बना था उस वक्त हमारे

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

संविधान के तहत सिर्फ़ एंग्लो इंडियन को ही माइनोरिटी कम्युनिटीज में आईडेंटिफ़ाई किया जाता था और उस वक्त मुसलमानों को या सिखों को या जैनियों को या बुद्धिस्टों को माइनोरिटी कम्युनिटी में नहीं गिना जाता था, सिर्फ़ एंग्लो इंडियन को गिना जाता था और सिर्फ़ इसीलिये इसमें पूरी किताब में माइनोरिटी कम्युनिटी के हिसाब से एंग्लो इंडियन को लगाया गया था और अब यह नीयत क्यों खराब हुई ? इनको डर है बी०जे०पी० से जो इनकी एक बैसाखी है और जिसने अपने मैनिफ़ैस्टो में कलीधरली कहा है कि :

"The B.J.P. will widen the scope of present Minorities Commission and convert it into Human Rights Commission to take care of the just rights of all individuals, groups and communities, not for minority communties."

यह माइनोरिटी कम्युनिटी का एक नया इंटरपीटेशन इन्होंने किया है और माइनोरिटी कम्युनिटीज को यह हटाना चाहते हैं और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। महोदया, इस आर्टिकल-338 के तहत यह अगर चाहते, अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो आज इस विधेयक के साथ यह बैकवार्ड कम्युनिटीज को भी लाते और माइनोरिटी कम्युनिटीज को भी लाते। आज किसी भी मुसलमान से, और किसी भी सिख से, किसी भी माइनोरिटी कम्युनिटी के सदस्य से पूछो छाती पर हाथ धरकर कि सब अधिकार चाहता है या नहीं चाहता है, संविधान के तहत चाहता है या नहीं चाहता है। वह चाहता है, पर इनकी नीयत साफ नहीं और यह नीयत साफ़ न होने का कारण बार-बार महात्मा गांधी को भुलाकर, विनोबा भावे को भुलाकर, जयप्रकाश नारायण को भुलाकर यह बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के चला रहे हैं इस मुल्क के लोगों को और कांग्रेस पार्टी को। महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यह बाबा साहब अम्बेडकर और यह कांग्रेस पार्टी की कृपा से आज यहां पर मंत्री हैं और यह संसद सदस्य बनकर शैड्यूल्ड कास्ट कंस्टीट्यूंसी से इलैक्ट होकर आये हैं। यह शैड्यूल्ड कास्ट कंस्टीट्यूएंसी से इलैक्ट होकर आये हैं। आप इनसे कहिये कि यह जनरल कंस्टीट्यूएंसी से इलैक्ट हो कर आयें। कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने डिलिमिटेशन एक्ट पास किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह नियम बनाया था, यह ढांचा बनाया था। (व्यवधान) डा० अम्बेडकर को कंस्टीट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने वाला कौन था ? पार्लियामेंट के परिसर के अंदर 10 टन की प्रतिमा डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की लगायी गयी है वह क्या राम विलास पासवान ने लगायी है ? (व्यवधान)

उपसभापति : हो गया है, बठ जाइये।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : मैं खत्म कर रहा हूं। इस सरकार के आने के बाद इन्होंने सेन्ट्रल हाल में जो बाबा साहेब की तस्वीर टांगी है उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं इज्जत करता हूं बाबा साहेब की। दुख उस वक्त होता है जिस वक्त संसद समाचार टी०वी० पर देखता हूं। उस समय जब संसद को दिखाया जाता है तो बाबा साहेब की तस्वीर दिखानी क्यों बंद कर दिया है। धिक्कार है इनको। (व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाना क्यों बंद कर दिया। (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI: You have stopped it. I charge you.

SHRI V. GOPALSAMY: Why did the Congress fail to unveil the portrait? Why did you fail?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am talking about the television. You will not understand my point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, your speech is not of a general kind. You are speaking on your amendment only. Please take your seat. I am putting the amendment to vote. (*Interruption*). Please sit down. You cannot make a speech.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार से कि वह अपनी नीयत में सुधार लाये... (व्यवधान)

उपसभापति : आप खत्म करिये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं इस सरकार से कि जो उनकी नीयत बुरी है उसमें वह सुधार लायेंगे । जल्दी से जल्दी बैकवर्ड कमीशन के लिए इसी तरह से कंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन लेते हुए एक विधेयक लायेंगे । माइनोरिटी कमीशन भी संविधान के तहत बनायेंगे । यह मैं आपके माध्यम से उनसे एश्योरेंस लेता हूं और समझता हूं यह नौजवान साथी राम विलास पासवान ऐसा क्रांतिकारी कदम उठायेगा । इसलिए मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या–1, अनुमति से, वापस ले लिया गया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, you have also moved amendments I will allow you to speak only on one amendment. Either you speak... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I have a right to speak on each and every amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You make a short speech.

SHRI V. NARAYANASAMY: I do not want to give up my right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Keep quiet. Don't start the confrontation again. You have got two amendments. One is ... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to speak on each and every amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Why are you in such a hurry? I think you are in a hurry to speak also.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, you were telling that you would allow me to speak only on one amendment. I have a right to speak on all amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not saying 'no' to you. Are you going to speak on both of them?

SHRI V. NARAYANASAMY: That is what I am saying.

THE DEPUTY CHAIRMAN: O. K. Go ahead Speak. here for the whole night, I am not bothered. Delay it as much as you want. If you want to be here till 12 o' clock, please go ahead and speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I move:

2. "That at page 1 in para (2) for the words

'five other members' the words 'eight other members' be substituted."

3. "That at page 2, after item (b) the following be inserted, namely:—

'(bbb) to take action in appropriate cases on the violation of safeguards provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.'

'(bbbb) to punish the persons if proved, who involved in the violation of safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the above-said provision for a period of three years and more.' "

The questions were proposed.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Deputy Chairman, if this Constitution (Sixty-Eighth) Amendment Bill, 1990 is brought to this House as Ramdhan Bill, 1990, it would have

[Shri V. Narayanasamy]

been more appropriate because this Government could not accommodate him in the Cabinet and they could not give him any other rightful position in the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please do not mention the name of a Member of the other House. I request you not to do that.

SHRI V. NARAYANASAMY: He is a Member of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It does not matter. Please do not mention the name of a Member of the other House. Please talk about your amendment.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am not referring to him as a Member of the other House. I am referring to him only in his capacity as the Chairman of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Refer to him that way.

SHRI V. NARAYANASAMY: I did not say that he is from Lok Sabha. Why do you say that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the Chairman of the Commission, he cannot become a Minister. Only as a Member of Parliament, he can become a Minister. I do not want you to refer to that. You refer to him as the Chairman. But don't bring him in as a Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, if you go through the Bill, you will see that this is only recommendatory in nature. The powers given to the Commission are only recommendatory in nature and not mandatory. Now we want that more powers should be given to the Chairman. Our aim is to see that the authorities have the powers to punish a person and not simply make a recommendation to the Government. Even after the reports are laid on the Table, no action is taken by the authorities concerned whether it is the Central Government or the State Government. The Minister is now canvassing for the cause of Schedued Castes and Scheduled Tribes, but I would like to know from him whether he agrees for giving more powers to the Commission. Secondly, Madam, I wanted that this should be reclassified as the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities Commission. The reason is that though the Mandal Commission had submitted its report, no action has yet been taken on its recommendations. And thereafter when the Minister, Shri Ram Vilas Paswan went to Madras, he had a discussion with the Chief Minister of Tamil Nadu there and afterwards in a press conference about fifteen days back, he said that this Government would come out clearly about its decision on the Mandal Commission's report. Now more than fifteen days have elapsed; the reaction of this Government on the Mandal Commission's report is not known till date. Madam, Shri Ram Vilas Paswan, the hon. Minister gave a press-release. The people of this country have been eagerly waiting to know whether this Government will fully implement the Mandal Commission's report or not. In spite of the announcement made by him, he has not taken any steps to implement it. Then thirdly, Madam, about the minorities Under article 338, there is a provision for safeguarding the interests of the minorities also, but the present Minorities Commissin has not been given a statutory status. They have been demanding it for a long time. But the BJP in their manifesto and also the BJP President have been telling that the Minorities Commission should not be given a statutory status. And Apart from that, he went to the extent of saying, and I will quote:

> "Mr. Advani recalled that he made a suggestion to the National Integration Council that that the Minorities Commission has been meant for minorities or Scheduled Castes is misleading and encourages divisiveness."

Madam, such a statement by the President of the BJP that if a statutory status is given to the Minorities Commission and also Scheduled Castes Commission, it will create a division among the communities has created a wrong impression in the minds of the people. I do not know if the statutory status is given to the Commission, how it will create a division in this country. Therefore, Madam, I want that the interests of the three communities who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes including minorities should be safeguarded and I also want that the Bill is to be reclassified as a Bill for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities Commission. The Minister says that he will come forward with another Bill for the backward classes and to protect the interests of the minorities.

He has said about the Mandal Commission's report that he would come with another Bill. Madam, with these observations, I withdraw the amendment. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, you are withdrawing your amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam.

(2) The amendment (No. 2) was, by leave withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are speaking on the other amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. I have withdrawn my second amendment and I am pressing my third amendment. I want that the Commission which has not been given mandatory powers should be vested with mandatory powers. Therefore, I am pressing my amendment. But I am pressing only the first part of my amendment.

उपसभापति : आप मान रहे हैं इनके अमेंटमेंट को ?

श्री रामविलास पासवान : मैं सिर्फ आर्डर कर रहा हूं । मेरा माननीय सदस्य से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि और जैसा कि मैंने कहा कमीशन कमीशन होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें इनका इंटेशन बुरा नहीं है और न सुझाव बुरा है। इतना इतना कहना है तथा और माननीय सदस्यों का यही है कि कमीशन जो रेकमंडेशन करेगा तो क्या वह बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा । यह बाइंडिंग के संबंध में है । मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी कमीशन को आप देखें कि कमीशन को इतने ही अधिकार दिये जाते हैं, पावर दी जाती हैं, इन्टेरोगेशन करने की और एक्जामिन करने की न कि सारी पावर दी जाती है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको यहां रखने की जरूरत नहीं है। रूल्स जब बनाये जायेंगे तो उस समय निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे । (**व्यवधान**)..... साल्वे साहब आप भी जानते हैं कि अगर कमीशन रेकमंड भी करेगा और फिर उसको लागू भी करेगा तो मैं समझा हूं कि यह थोड़ा ठीक नहीं है। आपकी भावना से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूं । हम लोग कभी बैठ जायेंगे और इस पर विचार करेंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है इसलिये माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि वे इसको वापस ले लें ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want that the Commission should investigate, monitor and also implement. I do not want it to be a paper tiger only. It should have teeth and the Commission should give protection to the Shceduled Caste people. Today, Madam, lakhs of people are enjoying the benefits given to the Scheduled Caste people and they are all benamis. This is a great injustice done to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

3. "That at page 2, after item (b), the following be *inserted*, namely:—

> '(bbb) to take action in appropriate cases on violation of safeguards provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the itme being in force or under any order of the Government.

[The Deputy Chairman]

(bbbb) To punish the persons, if proved, who involved in the violation of safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the above-said provision for a period of three years and more."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go to the next amendment. Yes, Mr. Jogi, you move your amendment.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Madam, I beg to move:

"That at page 2, in item (d), after the words "Scheduled Tribes" the following be inserted, namely:—

"and such recommendations shall be binding on the concerning Union/State Governments or Union territory in as much as the recommendations are not repugnant to the spirit and provisions of the Constitution and therefore, the Government shall be bound to implement it."

The question was proposed.

श्री अजीत जोगी : उप सभापति जी, आज चर्चा के दौरान सदन में मैंने इस अधिनियम पर बहुत सी बातें कही थीं। ऐसी आशा थी क्यों कि मंत्री महोदय जिन बातों को जायज मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, इसलिये उनके विषय में जरूर अधिनियम में प्रावधान करने के लिये तैयार हो जायेंगे। मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं कि हम नियमों में इन बातों को शामिल करेंगे। किन्तु वे यह नहीं कह रहे हैं कि अवश्य ही शामिल कर लिये जायेंगे। उनका यह कहना है कि नियमों में उन्हें शामिल करने के विषय में विचार किया जायेगा। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो मैंने सदन के समक्ष रखी हैं क्योंकि इन सब बातों को मैंने विस्तार से इसके पहले कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो दिया किन्तु जो बातें मैंने इसके बारे में उठाई थीं, उनके विषय में किसी तरह का समाधान नहीं किया। और इसीलिए हम मजबूर हैं कि हमने यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उस पर सदन की राय लें। हमारी जैसी आशा थी उसी के बिल्कुल अनुरूप यह जो संशोधन विधेयक 68वां आप लाए हैं वह अत्यंत ही निराशाजनक है। आपने बहुत प्रचार किया, बहुत बातें कीं, टेलीविजन पर समाचार पत्रों में भी तरह तरह से प्रसारित किया, किंतु आज जब सदन के समक्ष यह अधिनियम आया है तो बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है कि हमने खोदा पहाड़ पर निकली उसमें से चुहिया। इस अधिनियम के माध्यम से आप राष्ट्र के इन करोड़ों लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं, जो कुछ उनके पास था उसमें किसी बात का इजाफा नहीं हो रहा है केवल अंतर यह है कि पहले कमिश्नर आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स डा० बी०डी० शर्मा बैठे हुए थे, अब आपने एमीशन बना दिया है तो आदरणीय श्री रामधन जी और उनके साथी वहां बैठेंगे। आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों की परिस्थिति में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन इस अधिनियम से नहीं होगा। यह हमारी स्पष्ट मान्यता है। अभी तक इस सदन के सामने रिपोर्ट रखी जाती थीं, अब आप विधान सभाओं के सामने रिपोर्ट रख देंगे। 38 रिपोर्टें इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन 38 रिपोर्टों में हजारों अनुशंसाएं और सिफ़ारिशें इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सदन की और दूसरे सदन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कमेटियां हैं, उनकी सैंकड़ों सिफ़ारिशें सदन के सामने आई हैं, उन पर कोई अमल नहीं हुआ है। यदि यह अधिनियम इस रूप में जिस रूप में आप लाए हैं उसी रूप में पारित हो जाता है तो इस स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप वैसे अधिकार इस कमीशन को नहीं दे रहे हैं जिससे यह कमीशन सक्षम हो

और इन करोड़ों लोगों को किसी तरह की राहत दे सके। आप यह कह रहे हैं कि दूसरे जो कमीशन बनते हैं उनमें कभी इस तरह के अधिकार नहीं देते। दूसरे कमीशन जिनके लिए बनते हैं और जिनके लिए यह कमीशन बना है उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। यह उन लोगों का सवाल नहीं है जिनके पास सब कुछ है। यह उन 41 लाख लोगों का सवाल है जो आज भी अपने सिर पर मैला ढो रहे हैं। यह उन 41 लाख से ज्यादा लोगों का सवाल है जिन पर आप की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष एट्रोसिटीज होती है। यह उन लोगों का सवाल है, यह बस्तर के उन आदिवासियों और गिरिजनों का सवाल है जिनमें आज भी शिक्षा का प्रतिशत 5 से अधिक नहीं है... (व्यवधान) तो आपको इस संशोधन विधेयक द्वारा कमीशन को और अधिक अधिकार देने होंगे इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार मैं चाहता हूं कि जो भी अनुशंसाये, जो भी सिफ़ारिशें यह कमीशन करेगा वे केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों या संबंधित यूनियन टेरीटरीज, इन तीनों से संबंधित अधिकारियों के लिये बंधनकारक होगी और उन पर इनको पालन करना ही होगा। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि वास्तव में चाहते हैं कि इन वर्गों का भला हो यदि वास्तव में चाहते हैं कि इस कमीशन के माध्यम से इन करोड़ों लोगों को कोई राहत मिले तो हमें यह अधिकार उसको देना चाहिये। कृपया मेरे इस संशोधन को अवश्य पारित करें। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall put Amendment No. 4 to vote.

Amendment No 4 was negatived.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I move—

5. "That at page 2 *after* item (e) following be *inserted*, namely:—

"(f) To recommend for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found quilty of violation of the Presidential directives and wilfully neglected or acted against the safeguards prvoided for protection, welfare and socio-economic develpment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

7. "That at page 2 *after* (7) the following be inserted, namely:—

"(8) Where any such recommendation for disciplinary action relates to Central Government/State Governments, public undertakings, cooperatives or other institutions or administrations, such authority should proceed with taking action and report back to the Commission the compliance."

8. "That at page 2 *after* para (7) in item (c) *for* the brackets and figure "(8)" the brackets and figure "(11)" be substituted.'

The question was proposed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, before I speak on my amendments I want to say one sentence about the remarks made by the Minister in his reply. He said if Jawaharlalji had been there, he would not have walked out while passing the Bill.

The day before yesterday, our walkout was not on the Bill but for some other reason. Our party did not walk out on the voting of the Bill, in passing the Constitution (Amendment) Bill.

Coming back to this amendment, Madam, the Minister has agreed:

—नियत माफ है।

I have noted it. I have taken him to be hundred per cent correct. So this special amendment has been brought to give more powers to the Commmission so that it can be effective. A gentleman who is committed to the cause of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, being the Chairman, Mr. Ramdhan will make only such recommendations which can be followed and which will be within the rules. So my amendment is to recommend

for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found guilty of violating the Presidential directives and wilfully neglected or acted against the safeguards provided for protection, welfare and socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Minister, while accepting the spirit, says in other Commissions we have not included this provision and so we need not include it in the Act but let it be in the Rules. That is the argument. But my point is that like other Commissions this Commission may also sleep over the matter, If you cannot make a similar law, tomorrow you may also have similar complaints that this Commission also could not do anything because the provisions are not in the Act.

I request the hon. Minister to accept to make it more effective, more meaningful.

If you want to give something,

जैसा उन्होंने कहा कि नीयत साफ़ है । अगर नीयत साफ़ हो, तो थोड़ा सा अधिकार कमीशन को देना चाहिये । चितने पहले सारे कमीशन थे, वह इसलिये काम नहीं कर सके कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी ।

अभी राम विलास पासवान जो नियम पास करना रहे हैं, उस बाद भी हम लोगों को मौका न आयें और राम विलास पासवान जी को हम लोग आगे शिकायत न करें, इसीलिये मैं इस अमेंडमेंट में आ रहा हूं । इसको वह स्वीकार करें ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं । सेंटीनरी पिक्चर बाबा साहब का, इतना महत्व हम दे रहे हैं और दूरदर्शन में जो उसको बन्द किया गया है, उसे पार्लियामेंट न्यूज में, आज रेस्यु कर दिया जाय । इतने साल हर रोज पार्लियामेंट न्यूज में हम हर रोज बाबा साहब को दिखाते थे और अब उसको सरकार ने बाबा साहब सेंटीनरी में बन्द कर दिया है । यह ठीक नहीं है । आप उसको ठीक करवाइये ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing the amendment?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The Minister has stood up to say something.

श्री राम विलास पासवान : हम सिर्फ़ इतना ही माननीय सदस्य का ध्यान दिला रहे थे कि जो हनुमनतप्पा ने कहा है, वह 5(डी) में है कि इस कमीशन को पावर रहेगी :

"to make in such reports, recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

और उसके बाद यह देखें, तो 8(क) है, उसमें इसमें जो कर्तव्य, काम शक्तियां, दी गई हैं, उसमें साफ़ लिखा है कि :

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति-अध्यपेक्षा करना,

(ङ.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे ।

तो यह जो पावर है, यह बहुत बड़ी पावर है । तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी भावना की बड़ी कद्र करता हूं । उसमें कहीं कोई हम में और आप में दो बात नहीं हैं और मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसे वापिस कर लिया है ।

उपसभापति : नहीं, वापिस नहीं । I am putting Amendments No. 5,7 and 8 to vote.

The amendments (Nos. 5 7 and 8) were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment No. 9 by Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी, आप अमेंडमेंट नं० 9 वापिस ले रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी मैं जरा अपनी बात कह लूं । संविधान के अनुच्छेद 338 में स्पेशल आफिसर का प्रावधान था . . .

I beg to move:

"That at page 1, in the last line *after* the words 'hand and seal' the words "and the Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers and other members shall be given the rank of State Minister".

The question was proposed.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग बनाया गया है, इस में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि बाद में संसद चाहे तो कानून बनाएगी और जैसाकि मंत्रीजी ने अभी कहा कि राष्ट्रपति जी नियम भी बना सकते हैं । लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है —

"Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers, and other Members shall be given the rank of State Ministers."

मेरा सुझाव यह है कि जो जन-जाति आयोग बना रहा है , आप उन को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं तो कम-से-कम जो इनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन की मंत्री स्तर का और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए । मंत्रीजी का शुरू में जो भाषण हुआ, उस में उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि जो बाद में रूल बनेंगे, जो सर्विस कंडीशन होंगी— उसके हिसाब से इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उन को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा । जो उपाध्यक्ष होंगे, उन को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जो सदस्य हैं उन को कोई भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है ।

उपसभापति : आप प्रेस कर रहे है या विदड्रा कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मंत्री जी का उत्तर सुन लूं । मेरा निवेदन है कि जो तीन सदस्य हैं, उन को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदय, मैं ने बतलाया कि दिया नहीं जा रहा है, दे दिया है । जो उसके अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट का, जो उपाध्यक्ष हैं, उन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है । जो पांच सदस्य हैं, तो जब उन को कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है तो सदस्यों को भी बिना पावर के नहीं रखा जाएगा । क्या पावर दिया जाएगा, उसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा ।

उपसभापति : आप विदड्रा कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं समझता हूं कि मेरी भावनाओं को मंत्री जी समझ गए हैं ।

Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 2 to vote. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The House divided . .

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes 191

Noes .... Nil

AYES—191

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Amrita Pritam, Shrimati
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Azmi, Maulana Obaidullah Khan
Baby, Shri M. A.
Bagrodi, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan , Shri E.
Balram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Beniwal, Shrimati Vidya
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary, Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary, Ram Sewak
Chowdhry, Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka
Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram, Dr
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Gaj Singh, Shri
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. alias Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Sangh Priya
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.
Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Jagmohan, Shri
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrão
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kakodkar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Dr. Abrar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.
Kotaiah Pragada, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Kunjachen, Shri P. K.
Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo
Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Mahendra Prasad, Shri
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakrishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Mehta, Shri Chimanbhai
Menon, Prof. M. G. K.
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.
Paswan, Shri Kameshwar
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Pugila, Shri Naresh C.
Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J.S.
Ramachandran, Shri S. K. T.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Ratan Kumari, Shrimati
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri S. Jaipal
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saghy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Shri Ram Awadhesh
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sinha, Shrimati Kamla
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.
Talari, Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tirla, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti
Upendra, Shri Parvathaneni
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkataraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yonggum, Shri Nyodek]

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now but clause 1, the Enacting Formula and the Title to vote. The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes.....191
Noes.....Nil

[AYES—191

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Amrita Pritam, Shrimati
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Azmi, Maulana Obaidullah Khan
Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Beniwal, Shrimati Vidya
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary, Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary, Ram Sewak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka
Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram, Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Gaj Singh, Shri
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. *alias* Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Sangh Priya
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.
Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jagmohan, Shri
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.

Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kakodkar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Dr. Abrar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.
Kotaiah Pragada, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Kunjachen, Shri P. K.
Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo
Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Mahendra Prasad, Shri
Maheswari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Mehta, Shri Chimanbhai
Menon, Prof. M. G. K.
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.
Paswan, Shri Kameshwar
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C.
Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Ramachandran, Shri S. K. T.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Ratan Kumari, Shrimati
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri S. Jaipal
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad

Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Shri Ram Awadhesh
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sinha, Shrimati Kamla
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.
Talari Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti
Upendra, Shri Parvathaneni
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthalai Virumbi, Shri S.
Yadav, Shri Ish Dutt
Ydav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yonggam, Shri Nyodek.

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

7.00 P.M.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes 191
Noes ..... Nil

[AYES—191

Afzal, Shri Mohammad
Agrawal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Amrita Pritam, Shrimati
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Azmi, Maulana Obaidullah Khan
Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Beniwal, Shrimati Vidya
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madam
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreshwar
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary Ram Sewak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka
Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram, Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Gaj Singh, Shri
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. alias Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Sangh Priya
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.
Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprassad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jagmohan, Shri
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kakodkar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Naraayn
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Dr. Abrar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.
Kotaiah Pragada, Shri
Krishnan, Shri G. Y.
Kunjachen, Shri P. K.
Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shr Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo
Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Mahendra Prasad, Shri
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Mehta, Shri Chimanbhai
Menon, Prof. M. G. K.
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar

Parmer, Shri B. L.
armar, Shri Rajubhai A.
Paswan, Shri Kameshwar
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C.
Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Ramachandran, Shri S. K. T.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Ratan Kumari, Shrimati
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri S. Jaipal
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Shri Ram Awadhesh
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sinha, Shrimati Kamla
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.
Talari Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi , Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti
Upendra, Shri Parvathaneni
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthailai Virumbi, Shri S.
Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Nyodek Yonggam]

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

कुमारी सरोज खापर्डे : मंत्री जी, बहुत-बहुत बधाई आपको ।

श्री राम विलास पासवान : बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ।

कुमारी सरोज खापर्डे : मंत्री जी, जरा सदन को मुबारकबाद तो दीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दे दी है । मैंने कहा कि आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सर्व-सम्मति से इसे पास कर दिया ।